संख्या-199/2018/2732/26-3-2018

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 19 सितम्बर 2018

विषय:- **रिट याचिका संख्या-4704/2014 कात्यायनी कालेज आफ एजूकेशन मेरठ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-08-2014 के अनुपालन मं० छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1778/स.क./शिक्षा-अ/01/989/2018-19, दिनाक-07.08.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार उक्त संस्थान के वर्ष 2013-14 में पात्र पाये गये 17 छात्रों की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि रू0-9,70,360/-(रूपये नौ लाख सत्तर हजार तीन सौ साठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रपुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि से भुगतान की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या-199/2018/2732 (1)/26-3-2018 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in